मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा-2021 के आयोजन की सूचना

दिनांक 28.06.2023

ऑनलाइन आवेदन अवधि	प्रवेश-पत्र की उपलब्धता	परीक्षा तिथि
दिनांक 12.07.2023 से 30.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक	दिनांक 13.08.2023	20.08.2023

-:: <u>अत्यंत महत्वपूर्ण</u> ::-

अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2021 हेतु विलंब शुल्क के साथ आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अत: ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 30.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक आवेदन भर दें। उक्त तिथि एवं समय तक आवेदन पत्र न भरने वाले अभ्यर्थी राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2021 हेतु अपात्र माने जाएगें तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा **2021** हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक **11/2021** दिनांक **22.12.2021** के संदर्भ में आयोजित की गयी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिनांक **20.10.2022** को घोषित किया गया है । उक्त परीक्षा में सफ़ल आवेदकों हेतु राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा **2021** <u>दिनांक **20.08.2023**</u> **को इंदौर** स्थित परीक्षा केन्द्रों पर निम्नानुसार आयोजित की जाएगी :-

ऑफलाइन परीक्षा		अवधि
खण्ड 'अ'	मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान	परीक्षा तिथि : 20.08.2023 दोपहर 12:00 बजे से 03:00 बजे तक
खण्ड 'ब'	वानिकी एवं सामान्य विज्ञान	
प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगें तथा परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से OMR आधारित होगी		

02 **वन सेवा मुख्य परीक्षा 2021 हेतु** सफ़ल आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक होगा । मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक **<u>दिनांक 12.07.2023 से 30.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे)</u> तक www.mponline.gov.in** तथा **https://mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते है । आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु निम्नानुसार आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा:-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹ 400/	₹ 800/
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा	

03 आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक **16.07.2023 से 01.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे)** तक त्रुटि सुधार भी कर सकेंगे । त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं किए जा सकेंगे । त्रुटि सुधार हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- (सेवाकर सहित) देय होंगे । जिन आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरे जाएंगे राज्य वन सेवा परीक्षा **2021** हेतु उनकी उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी एवं इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य न करते हुये उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

04 मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक **13.08.2023** से **www.mponline.gov.in** तथा **https://mppsc.mp.gov.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे । प्रवेश पत्र डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित नहीं किए जाएंगे । प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु आवेदक mponline के अधिकृत कियोस्क का भी उपयोग कर सकते हैं । कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु ₹ 5/- पोर्टल शुल्क देय होगा ।

05 आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्नानुसार मान्य फ़ोटो युक्त मूल पहचान-पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात् ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :-

1.	मतदाता परिचय पत्र	2.	आधार कार्ड (फ़ोटोकापी मान्य)	3.	ड्रायविंग लायसेंस
4.	आयकर का पेन कार्ड	5.	पासपोर्ट	6.	फ़ोटो सहित बैंक पासबुक
7.	केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फ़ोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र	8.	शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत आवेदकों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व जारी फ़ोटो पहचान पत्र		
9.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फ़ोटो परिचय-पत्र				

06 मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो कही सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हे आबंटित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा । अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे:–

(1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।

(2) मूल यात्रा टिकट जिसमे यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी, तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो, ई-टिकट होने की स्थिति में स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगी।

07 **राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2021 की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम** आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in पर** उपलब्ध है।

सचिव